



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2002/माघ 29, 1923

No. 176]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2002/MAGHA 29, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2002

का. आ. 211(अ).— राष्ट्रपति द्वारा 16-1-2002 को किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 को, उन बातों के संबंध में के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने से लोप किया गया था, अधिक्रान्त करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 है।
2. ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। राष्ट्रपति के नाम में किए गए और निष्पादित किए गए सभी आदेश और अन्य लिखतें निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी -

(1) भारत सरकार के सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव या अवर सचिव के हस्ताक्षर द्वारा ; या

(2) भारत सरकार (कार्य - आंबटन) नियम, 1961 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में किसी निदेशक या डेस्क अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा ; या

(3) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 में यथा परिभाषित किसी विभागाध्यक्ष के, किसी संघ राज्य क्षेत्र में के विभागाध्यक्ष से भिन्न, हस्ताक्षर द्वारा ; या

(4) इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट किसी विभाग, निदेशालय, आयोग, बोर्ड, कार्यालय या किसी संगठन से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट उस विभाग, निदेशालय, आयोग, बोर्ड, कार्यालय या संगठन के सामने विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा ; या

- (5) राष्ट्रपति के सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव, राष्ट्रपति के सचिवालय में के किसी निदेशक, उप सचिव या अवर सचिव द्वारा ; या
- (6) उपराष्ट्रपति के सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उपराष्ट्रपति सचिवालय में के सचिव, उपसचिव, अवर सचिव द्वारा ; या
- (7) प्रधान मंत्री के कार्यालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस कार्यालय में के प्रमुख सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, विशेष कार्य अधिकारी, उपसचिव या अवर सचिव द्वारा ; या
- (8) मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, मंत्रिमंडल सचिव, सचिव (समन्वय), अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव या उप निदेशक (राजभाषा) द्वारा ; या
- (9) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के उर्वरक खंड से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस खंड में उपायुक्त (उर्वरक) द्वारा ; या
- (10) जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मंजूरीयों की दशा में, उस विभाग में सलाहकार, निदेशक (वैज्ञानिक), प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी या ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी - I द्वारा ; या
- (11) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के संचलन और आयात खंड से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के उर्वरक खंड में उपायुक्त (पत्तन संचालन और परियोजनाएँ) तथा उपायुक्त (संचलन) द्वारा और उर्वरक विभाग के उर्वरक लेखा खंड के लेखा खंड से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस खंड में लेखा उप निदेशक द्वारा ; या
- (12) विदेश व्यापार महानिदेशालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, महानिदेशक, विदेश व्यापार या अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार या निर्यात आयुक्त या संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा ; या
- (13) नीलामी संविदा की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप संविदा 117 में अंतर्विष्ट रूप में संविदा की साधारण शर्तों के खंड 6, 7 और 8 के अधीन या नीलाम विक्रयों की शर्तों के खंड (2)(घ) और (8) के अधीन ऐसे मांग नोटिसों की दशा में, जिनमें क्रेताओं से, पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय द्वारा की गई किसी संविदा या किए गए किसी विक्रय के अधीन किसी हानि या पुनर्विक्रय मद्दे या किसी अन्य कारण से क्रेताओं से वसूलनीय या उनके द्वारा संदेय कोई धनराशि सरकार को संदाय करने का अनुरोध किया गया है, व्ययन निदेशक या उप निदेशक द्वारा ; और पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय द्वारा सामान के क्रय और पूर्ति के लिए की गई संविदाओं और पूर्ति आदेशों से उद्भूत माध्यस्थ पंचाटों के निबंधनों के अनुसार तथा ऐसी संविदाओं और पूर्ति आदेशों से उद्भूत न्यायालय की डिक्रीओं के निबंधनों के अनुसार भी वसूली या संदाय के लिए मांग नोटिसों की दशा में, पूर्ति निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक या अनुभाग अधिकारी द्वारा ; या
- (14) केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियाँ और संदाय) नियम, 1983 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप जी ए आर 12, 26 और 47 में क्षति पूर्ति विलेखों / बंधपत्रों और गुम मांग देय ड्राफ्ट के बदले में नए मांग देय ड्राफ्ट जारी करने के लिए क्षतिपूर्ति बंध पत्र की दशा में, भारत सरकार (कार्य - आबंटन) नियम, 1961 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में और इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट विभागों, निदेशालयों, आयोगों, बोर्डों, कार्यालयों या संगठनों में कार्यालय प्रधान के रूप में घोषित किसी अधिकारी द्वारा ; या

(15) ढाक विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग में ज्येष्ठ उप महानिदेशक, उप महानिदेशक, निदेशक, सहायक महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर या सचिव, ढाक सेवा बोर्ड द्वारा ; या

(16) दूर संचार विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग में किसी सलाहकार, ज्येष्ठ उप महानिदेशक, उपमहानिदेशक, निदेशक, आंतरिक वित्त सलाहकार, उप बेतार सलाहकार, सहायक बेतार सलाहकार, सहायक महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर, मुख्य वास्तुविद या सचिव, दूर संचार आयोग द्वारा ; या

(17) उस विभाग के गजेटियर यूनियन से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, सम्पादक (गजेटियर) द्वारा और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ; या

(18) रक्षा मंत्रालय (वित्त खंड) से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, मंत्रालय में वित्त सलाहकार, अपर वित्त सलाहकार, उप वित्त सलाहकार या सहायक वित्त सलाहकार द्वारा ; या

(19) पर्यावरण और वन मंत्रालय जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड और राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भी हैं, से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, मंत्रालय में किसी वन अपर महानिरीक्षक, वन उपमहानिरीक्षक, वन सहायक महानिरीक्षक, विज्ञानविद् 'एस डी', विज्ञानविद् 'एस ई', विज्ञानविद् 'एस एफ', विज्ञानविद् 'एस जी', विज्ञानविद् 'जी', विज्ञानविद् 'एच' और मंत्रालय के वन्य जीव खंड में संयुक्त निदेशक, या उप निदेशक द्वारा ; या

(20) विदेश मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय में किसी अताशे या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ; या

(21) आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के किसी निदेशक (स्टॉक एक्सचेंज), संयुक्त निदेशक (स्टॉक एक्सचेंज), ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या किसी लेखा अधिकारी द्वारा ; या

(22) आर्थिक कार्य विभाग में मुद्रा और सिक्का प्रभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस प्रभाग के किसी विशेष अधिकारी (मुद्रा और सिक्का) या किसी उपप्रबंधक द्वारा ; या

(23) व्यय विभाग में लेखा महा नियंत्रक के संगठन से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस संगठन के महालेखा नियंत्रक, अपर महालेखा नियंत्रक, संयुक्त महालेखा नियंत्रक, उप महालेखा नियंत्रक या सहायक महालेखा नियंत्रक द्वारा ; या

(24) राजस्व विभाग में कर प्रत्यय प्रमाण पत्र (निर्यात) स्कीम, 1965 (अधिसूचना सं० 3(1)/65-टीसीसी(अ), सा०का०नि० 1183, तारीख 27 अगस्त, 1965 द्वारा प्रकाशित) से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त स्कीम के पैरा 4 के अधीन नियुक्त कर प्रत्यय उप निदेशक(निर्यात) या किसी सहायक कर प्रत्यय निदेशक(निर्यात) द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के किसी निदेशक द्वारा या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के किसी निदेशक द्वारा ; या

(25) भविष्य निधि से वित्त पोषित जीवन बीमा की ऐसी पालिसियों के समनुदेशनों के, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में समनुदेशित किया गया है, रद्दकरण की दशा में, निधि से संबंधित नियमों में यथा परिभाषित निधि के लेखा अधिकारी द्वारा ; या

(26) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के किसी संयुक्त शिक्षा सलाहकार, अपर शिक्षता सलाहकार, उप शिक्षा सलाहकार, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, अनुज्ञापन अधिकारी, प्रतिलिप्यधिकार सूचना अधिकारी और विशेष अधिकारी (पुस्तक संवर्धन) द्वारा ; या

(27) बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के उप शिक्षा सलाहकार, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा अधिकारी और उप निदेशक द्वारा ; या

(28) परिवार कल्याण विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के उप निदेशक (विपणन) या उप निदेशक (प्रदाय) द्वारा ; या

(29) गृह मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय के उप वित्त सलाहकार या उप महा निदेशक (प्रदाय) और सहायक निदेशक (प्रदाय) द्वारा और सचिवालय सुस्का संगठन, जिसके अंतर्गत स्वागत पक्ष भी है, से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय के मुख्य सुस्का अधिकारी द्वारा ; या

(30) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय के निदेशक, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और उप निदेशक द्वारा ; या

(31) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के निदेशक (औद्योगिक सहकारी समितियाँ और समन्वय) या उप निदेशक/अवर सचिव (औद्योगिक सहकारिता और समन्वय) द्वारा ; या

(32) श्रम मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय के श्रम और नियोजन सलाहकार या संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक (बाल और महिला श्रम) या संयुक्त निदेशक (श्रम संबंध) या सहायक निदेशक, श्रम संबंध प्रभाग (राष्ट्रीय श्रम आयोग विंग) द्वारा ; या

(33) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 43 से संबंधित आदेशों की दशा में, कंपनी कार्य विभाग के अन्वेषण और निरीक्षण निदेशक द्वारा ; या

(34) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की दशा में, जहाँ ऐसा पाठ भारत के राजपत्र के भाग 2 के खंड 3क में प्रकाशित किया जाता है, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड के संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, किसी अपर विधायी परामर्शी, किसी उप विधायी परामर्शी या किसी सहायक विधायी परामर्शी द्वारा ; या

- (35) संविधान में विनिर्दिष्ट (हिन्दी से भिन्न) किसी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद या संविधान के अधीन अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि की दशा में, जहां ऐसा अनुवाद भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड के (संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी) किसी अपर विधायी परामर्शी, किसी उप विधायी परामर्शी या किसी सहायक विधायी परामर्शी द्वारा ; या
- (36) योजना आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस आयोग के सलाहकार (प्रशासन) द्वारा ; या
- (37) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के मुख्य कल्याण अधिकारी या कैंटीन निदेशक द्वारा ; या
- (38) रेल मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, किसी सचिव, किसी अपर सचिव, किसी संयुक्त सचिव, किसी उप सचिव या किसी अवर सचिव द्वारा या रेल बोर्ड के किसी अपर सदस्य, सलाहकार, कार्यपालक निदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक या किसी उप निदेशक द्वारा ; या
- (39) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मंजूरीयों की दशा में, उस मंत्रालय के किसी विज्ञानविद् 'घ', विज्ञानविद् 'च', विज्ञानविद् 'ङ', विज्ञानविद् 'छ' या विज्ञानविद् 'ग' द्वारा ; या
- (40) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी अंतरण प्रभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, किसी ऐसे विज्ञानविद् 'घ', विज्ञानविद् 'च', विज्ञानविद् 'छ' जो औषधि और भैषजिक अनुसंधान कार्यक्रम से संबंधित है, द्वारा ; या
- (41) गैस्-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित मंजूरीयों की दशा में, उस मंत्रालय के सलाहकार, निदेशक (तकनीकी), प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी और ज्येष्ठ वैज्ञानिक तकनीकी श्रेणी-1 द्वारा ; या
- (42) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के विशेष कार्य अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ; या
- (43) शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की प्रशासनिक सतर्कता इकाई से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस इकाई के किसी सहायक सतर्कता अधिकारी द्वारा ; या
- (44) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग में पूर्वी नदियां स्कंध में शाखा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा ; या
- (45) भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस आयोग के सचिव या अवर सचिव द्वारा ; या
- (46) संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस आयोग के सचिव, प्रशासन के भारसाधक उप सचिव या प्रशासन के भारसाधक अवर सचिव द्वारा ;

“अनुसूची”

(नियम 2 (4) देखिए)

ऐसे प्राधिकारी जो आदेशों और अन्य लिखतों को अधिप्रमाणित कर सकेंगे—

विभाग/निदेशालय आयोग, बोर्ड, कार्यालय या संगठन का नाम	अधिकारी
1	2

कृषि मंत्रालयपशु पालन और डेयरी विभाग

भारत के महानिदेशक

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण

परमाणु उर्जा विभाग

- (1) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
- (2) परमाणु खनिज प्रभाग
- (3) उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र
- (4) परिवर्तनशील ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र
- (5) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र
- (6) हैवी वाटर बोर्ड
- (7) नाभिकीय ईंधन काम्प्लेक्स
- (8) परमाणु उर्जा विनियामक बोर्ड
- (9) क्रय और भंडारण निदेशालय
- (10) विकिरण और समस्थानिक प्रौद्योगिकी बोर्ड
- (11) संनिर्माण सेवा और सम्यदा प्रबंधन निदेशालय
- (12) साधारण सेवा संगठन, कलपक्कम

अध्यक्ष, कार्मिक प्रभाग
मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी
मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी - 3
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निदेशक (कार्मिक/प्रशासन)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी - 3
प्रशासनिक अधिकारी - 3
प्रशासनिक अधिकारी - 3
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी - 3

परमाणु उर्जा आयोग

सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नागर विमानन महानिदेशालय

उप निदेशक प्रशासन

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयखाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

1. शर्करा निदेशालय

मुख्य निदेशक
(शर्करा)/निदेशक (शर्करा तकनीकी)/
निदेशक (शर्करा नियंत्रण)/
संयुक्त सचिव (लागत)

2. वनस्पति, खाद्य तेल और वसा निदेशालय संस्कृति मंत्रालय	मुख्य निदेशक (वनस्पति)
1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	निदेशक (प्रशासन)
2. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता रक्षा मंत्रालय	निदेशक / प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी
(1) संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निदेशक/उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
(2) नौ सेना परियोजना	महानिदेशक
(3) सैनिक विनियम और फार्म	निदेशक/सहायक निदेशक
(4) राष्ट्रीय कैंडेट कोर	उप महा निदेशक (कार्मिक और वित्त/निदेशक (कार्मिक))
(5) सेना मुख्यालय	सेना सचिव / अपर सेना सचिव / उप सेना सचिव /कनर्ल सेना सचिव / सहायक सेना सचिव / संगठन और कार्मिक महानिदेशक /कार्मिक सेवा अपर महानिदेशक कार्मिक निदेशक /उप निदेशक कार्मिक सेवा निदेशक/ उप निदेशक कार्मिक आफिसर निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक सिस्टम आफिसर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक/ सहायक महानिदेशक क्रय मुख्य निदेशक / उप क्रय मुख्य निदेशक / सहायक मुख्य क्रय निदेशक / अनुभाग अधिकारी
(6) नौ सेना मुख्यालय	
(7) वायुसेना मुख्यालय	
(8) शब्द और संचार परियोजना कार्यालय	
(9) रक्षा संपदा महानिदेशालय	
(10) सेना क्रय संगठन	
(11) सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक	
(i) सेना चिकित्सा कोर और सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी) आफिसर	उपमहानिदेशक
(12) चिकित्सा सेवा महानिदेशक (सेना)	
(i) सैन्य नर्सिंग सेवा आफिसर	अपर महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा
(ii) सैन्य दंत कोर आफिसर	निदेशक, दंत सेवा
(iii) जूनियर कमिश्नड आफिसर / सेना चिकित्सा कोर के अन्य रैंक/सेना दंत कोर	निदेशक चिकित्सा सेवा (प्रशिक्षण और समन्वय)
13. अश्व प्रदाय और पशु चिकित्सा कोर महानिदेशक	अश्व प्रदाय और पशु चिकित्सा कोर के अपर महानिदेशक
रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	निदेशक कार्मिक/ उप निदेशक कार्मिक/ सहायक निदेशक कार्मिक.

रक्षा उत्पादन और आपूर्ति

1. योजना और समन्वय निदेशालय
2. आर्डनेंस कारखाना
3. तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) निदेशालय

रक्षा मंत्रालय (वित्त)

रक्षा लेखा विभाग
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

1. प्रवर्तन निदेशालय
2. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी
3. आयकर बंदोबस्त आयोग
4. स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य विभाग
महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं

गृह मंत्रालय

1. आसूचना ब्यूरो
2. सीमा सुरक्षा बल
3. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल
4. भारत - तिब्बत सीमा पुलिस
5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
6. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
7. समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)
8. पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय
9. असम राइफलस

निदेशक (योजना और समन्वय)/उप योजना अधिकारी
(समन्वय)
महानिदेशक (आर्डनेंस कारखाना) / अपर
महानिदेशक (सदस्य आर्डनेंस कारखाना बोर्ड) / उप
महानिदेशक / संयुक्त निदेशक
निदेशक या संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या सहायक
निदेशक (प्रशासन)

अपर महानियंत्रक / उप महानियंत्रक

विशेष निदेशक/ अपर निदेशक / उप निदेशक / सहायक
निदेशक / उपविधि सलाहकार
आयकर आयुक्त/अपर आयकर आयुक्त / उप आयकर
आयुक्त
अध्यक्ष / सचिव

उप विधि सलाहकार

निदेशक (प्रशासन और सर्तकता)/उप निदेशक (प्रशासन)

मुख्यालय कार्यालय में के संयुक्त निदेशक /उपनिदेशक
/संयुक्त उप निदेशक /सहायक निदेशक/ संयुक्त
सहायक निदेशक
मुख्यालय कार्यालय में के उप निदेशक / अपर उप
महानिरीक्षक / सहायक निदेशक
महानिदेशक /अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक / वित्तीय
सलाहकार / उप निदेशक / उप वित्तीय सलाहकार
/सहायक निदेशक /संयुक्त सहायक निदेशक/
उपसहायक निदेशक
महानिदेशक /महानिरीक्षक पुलिस /
उपमहानिरीक्षक/कमांडेंट (स्टाफ)/ज्येष्ठ प्रशासनिक
अधिकारी
महानिदेशक / महानिरीक्षक पुलिस/ उप महानिरीक्षक
पुलिस / सहायक महानिरीक्षक / ज्येष्ठ प्रशासनिक
अधिकारी
उप निदेशक (प्रशासन)
अपर निदेशक
सचिवालय के मुख्यालय में के निदेशक/ उप सचिव
महानिदेशक/उप महानिदेशक / निदेशक /उप निदेशक /
सहायक निदेशक / संयुक्त सहायक निदेशक / उप
सहायक निदेशक

10. राष्ट्रीय सुखा गाई
11. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
12. जनगणना प्रचालन निदेशालय
13. पुनर्वास विभाग
14. विशेष सेवा ब्यूरो
15. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
महिला और बाल विकास विभाग
खाद्य और पोषाहार बोर्ड
युवा कार्य और खेल मंत्रालय
राष्ट्रीय सेवा स्कीम

लघु उद्योग मंत्रालय

1. विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय
2. आर्थिक सलाहकार का कार्यालय
3. औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो
4. नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर
5. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, नागपुर

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(क) मानकीकरण परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन निदेशालय

- (i) इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण और विकास केंद्र

उप महानिरीक्षक (प्रशासन)
ग्रुप कमांडेंट (स्थापन)
भारत का महारजिस्ट्रार / संयुक्त महारजिस्ट्रार/ उप महारजिस्ट्रार / संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक
निदेशक जनगणना प्रचालन / संयुक्त निदेशक जनगणना प्रचालन / उपनिदेशक जनगणना प्रचालन / सहायक निदेशक जनगणना प्रचालन
प्रबंध अधिकारी
मुख्यालय में के संयुक्त निदेशक/ महानिरीक्षक पुलिस, उपनिदेशक / उप महानिरीक्षक, संयुक्त उप निदेशक / सहायक निदेशक
महानिदेशक, निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, संयुक्त सहायक निदेशक

तकनीकी सलाहकार / क्षेत्रीय उप तकनीकी सलाहकार

निदेशक/कार्यक्रम सलाहकार/डेस्क अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी/ विभागाध्यक्ष या भारत सरकार (कार्य - आर्बटन) नियम, 1981 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों/ विभागों /सचिवालयों/ कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष के रूप में घोषित किसी अधिकारी द्वारा और गुम मांग देय ड्राफ्ट के बदले में नए ड्राफ्ट जारी करने के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्रों की दशा में केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियां और संदाय) नियम, 1983 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप जी ए आर 12, 26 और 47 में विनिर्दिष्ट विलेखों/क्षतिपूर्ति बंधपत्रों की दशा में इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट विभाग / निदेशालय/ आयोग / बोर्ड / कार्यालय / संगठन के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ।

विकास आयुक्त, संयुक्त विकास आयुक्त, मुख्यालय कार्यालय में के निदेशक (प्रशासन) और उप निदेशक प्रशासन)
अपर आर्थिक सलाहकार और उप आर्थिक सलाहकार सचिव/ निदेशक की रैंक में का कोई अधिकारी
नमक आयुक्त, उप नमक आयुक्त और सहायक नमक आयुक्त
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक और उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

महानिदेशक, (मानकीकरण परीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण) संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक

(iii) विश्वसनीयता केन्द्र	निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक
(ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक
<u>विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय</u> <u>विधायी विभाग</u>	
राजभाषा खंड <u>श्रम मंत्रालय</u> श्रम महानिदेशालय	संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी महानिदेशक / संयुक्त सचिव / उपसचिव/अवर सचिव/डेस्क अधिकारी
कोयला और खान मंत्रालय 1. भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2. भारतीय खान ब्यूरो	ज्येष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक/निदेशक/क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महानियंत्रक/खान नियंत्रक (समन्वय)/मुख्य खान नियंत्रक /निदेशक (अयस्क ड्रैसिंग)/कार्यालयाध्यक्ष
<u>कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग</u>	
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	उप निदेशक (प्रशासन)/ प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक निदेशक (स्थापन)
<u>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</u>	
<u>विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग</u> भारतीय मौसम विज्ञान विभाग	उप महानिदेशक मौसम विज्ञान (प्रशासन और भंडार)
<u>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</u> 1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 2. राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग	अवर सचिव अवर सचिव
अंतस्त्रि विभाग अंतस्त्रि आयोग वाणिज्य विभाग पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय	सचिव निदेशक (प्रशासन) उप निदेशक
<u>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</u> 1. सड़क सुरक्षा 2. समुद्री विकास	उप निदेशक (सड़क सुरक्षा) लेखा अधिकारी (समुद्री विकास)
<u>वस्त्र मंत्रालय</u> 1. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) 2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय 3. विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय 4. जूट आयुक्त का कार्यालय	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) / निदेशक (विपणन) संयुक्त वस्त्र आयुक्त उप विकास आयुक्त उप जूट आयुक्त
<u>शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</u>	

शहरी विकास विभाग

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
2. मुद्रण निदेशालय
3. संपदा निदेशालय

4. टाउन और कन्द्री योजना संगठन
5. भूमि और विकास कार्यालय

जल संसाधन मंत्रालय
केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली

तारीख 16 जनवरी, 2002

निदेशक/उपनिदेशक (प्रशासन)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

मुकदमा, बाजार और नीति प्रकोष्ठ के भार साधक
संपदा उप निदेशक

मुख्य योजनाकार

भूमि और विकास अधिकारी/ उप भूमि और विकास
अधिकारी / सहायक बंदोबस्त आयुक्तमुख्यालय स्थित मानव संसाधन खंड में के सचिव
(केन्द्रीय जल आयोग)/निदेशक/अवर सचिव/ उपनिदेशकके. आर. नारायणन,
राष्ट्रपति।

[सं. 23/1/94-पब्लिक]

यशवंत राज, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

No. 48]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 19, 2006/पौष 29, 1927

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2006/PAUSA 29, 1927

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2006

का.आ. 52 (अ).— संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियमावली, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियमावली, 2005 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियमावली, 2002 के नियम 2 में :—

(i) धारा (44) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

“जल संसाधन मंत्रालय के संबंध में आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में विभाग के इंस्टर रिजर्स विंग में शाखा अधिकारी के रूप में कार्यरत भारत सरकार का अवर सचिव; और वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विषय), संयुक्त आयुक्त (मृदा/कृषि इंजीनियरी/सस्य विज्ञान), निदेशक/संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), उप निदेशक (सांख्यिकी), उप आयुक्त, उप निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (कृषि अर्थशास्त्र); अथवा”

(ii) धारा (47) शामिल की जाए ताकि निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

“(47) भू-संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास प्रभाग) के संबंध में आदेशों और लिखतों के मामले में उस विभाग में उप महानिरीक्षक (वन), उप सलाहकार (वानिकी), सहायक महानिरीक्षक (वन), उप आयुक्त अथवा वैज्ञानिक (टी ई) द्वारा।”

ह./-

आ. प. जै. अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति

[सं. 23/01/2005-पब्लिक]

यशवन्त राज, संयुक्त सचिव (प्रशासन)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 945]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2006/भाद्र 3, 1928

No. 945]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2006/BHADRA 3, 1928

गृह मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2006

का.आ. 1358(अ).—संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 में आगे और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (i) ये नियम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियम, 2006 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 के नियम 2 में निम्नवत पठनीय एक नई धारा (48) जोड़ी जाए :-

“(48) केन्द्र निदेशकों (केन्द्रों के प्रभारी), केन्द्र प्रमुख, निदेशक/उप सचिव (स्थापना), निदेशक (प्रशासन) और उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) से सम्बन्धित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में”।

(आ.प.जै. अब्दुल कलाम)
राष्ट्रपति

[सं. 23/1/2006-पब्लिक]

यशवन्त राज, संयुक्त सचिव (प्रशा.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
ORDER

New Delhi, the 25th August, 2006

S.O. 1358(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following rules to further amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 namely :-

1. (i) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2006.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002, a new section (48) may be inserted to read as :-

“(48) in the case of orders and other instruments relating to the National Technical Research Organisation (NTRO) by the Centre Directors (Incharge of Centres), Centre Heads, Director/Deputy Secretary (Establishment), Director (Administration) and Deputy Director (Administration)”.

(A.P.J. Abdul Kalam)
President

[No. 23/1/2006-Public]

YASHWANT RAJ, Jt. Secy. (Admn.)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1434]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2009/भाद्र 18, 1931

No. 1434]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2009/BHADRA 18, 1931

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2009

का.आ. 2295(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की राष्ट्रपति, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 [अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियमावली, 2005 के द्वारा 18 जनवरी, 2006 तथा अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियम, 2006 के द्वारा 25 अगस्त, 2006 को संशोधित] को पुनः संशोधित करती है :-

"अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 की अनुसूची में रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग से संबंधित प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है :

वर्तमान प्रविष्टि	निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित की जानी है
अपर महानियंत्रक/उप-महानियंत्रक	रक्षा लेखा के संयुक्त महानियंत्रक/रक्षा लेखा के वरिष्ठ उप-महानियंत्रक/रक्षा लेखा के उप महानियंत्रक

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 में उपर्युक्त संशोधन के बाद इसे अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियमावली, 2009 कहा जाएगा।

3. वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

ह./-

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति।"

नई दिल्ली

दिनांक : 9 सितम्बर, 2009

[फा. सं. 23/1/2009-पब्लिक]

आर. पी. नाथ, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
ORDER

New Delhi, the 9th September, 2009

S.O. 2295(E).—In exercise of powers conferred by clause (2) of Article 77 of the Constitution of India, the President of India is pleased to further amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 [amended on January 18, 2006 *vide* Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2005 and on August 25, 2006 *vide* Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2006] :-

"In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002, the entry pertaining to Ministry of Defence, Defence Accounts Department to be amended as follows :

Existing entry	To be substituted by
Additional Controller General/Deputy Controller General	Joint Controller General of Defence Accounts/Sr. Deputy Controller General of Defence Accounts/Deputy Controller General of Defence Accounts

2. The above amendment to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2009.

3. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Sd/-

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, PRESIDENT."

New Delhi

Dated : 9th September, 2009

[F. No. 23/1/2009-Public]

R. P. NATH, Jt. Secy. (Admn.)

3298 GI/2009

